पटना में दिनांक–25 जुलाई, 2023 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. विश्व बैंक सम्पोषित पटना शहर के बेउर जोन में एस०टी० पी० के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 1,00,08,44,000/–रूपया (एक अरब आठ लाख चौवालिस हजार रूपया मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में 55,38,20,000/–रूपया (पचपन करोड़ अड़तीस लाख बीस हजार रूपया मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना हेतु राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी, इसके अतिरिक्त कार्य में वर्द्धित राशि तथा सेंटेज की राशि सहित कुल 44,70,24,000/– रूपया (चौवालिस करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार रूपया मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹77,81,00,000/– (सतहत्तर करोड़ इक्यासी लाख) रूपये मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹48,25,54,000/– (अड़तालीस करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. समस्तीपुर जिलान्तर्गत सरायरंजन अंचल में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तारीकरण हेतु मौजा –चकवा, थाना नं०–295 में भू–हदबंदी वाद सं०–25/90–91 बिहार सरकार बनाम श्री राम जानकी मंदिर, रामनगर नरघोघी में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1961 की धारा–15(1) द्वारा अधिशेष अर्जित भूमि में से खाता सं०–27, खेसरा सं०–01 कुल रकबा–5.30 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. पटना जिलान्तर्गत फतुहाँ अंचल के मौजा–भेड़गाँवा, थाना नं०–73 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–0.736358 एकड़ गैरमजरूआ आम/सरकारी भूमि (विवरणी– परिशिष्ट–I संलग्न) भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग सं०–199 डी० के आमस से रामनगर खण्ड के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. पटना जिलान्तर्गत धनरूआ अंचल के विभिन्न मौजा में विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–10.7421783 एकड़ गैरमजरूआ आम/सरकारी भूमि (विवरणी– परिशिष्ट –I संलग्न) भारतमाला परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग सं०–199 डी० के आमस से रामनगर खण्ड के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

8. माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान आँगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार में अंडा उपलब्ध कराने में पाई गई व्यावहारिक कठिनाई एवं कुपोषण को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 से समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों पर 03–06 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित बच्चों को दिये जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी मुंगफली बुधवार एवं शुक्रवार को देने हेतु राज्य योजना मद से कुल रूपया 216,16,09,070/–(दो सौ सोलह करोड़ सोलह लाख नौ हजार सत्तर रूपये मात्र) वार्षिक व्यय की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. जन–निजी–भागीदारी (पी०पी०पी०) अंतर्गत डी०बी० एफ०ओ०टी० (Design Build Finance Operate and Transfer) पद्वति पर रा०उ०पथ० सं०–31 में बख्तियारपुर से रा०उ०पथ सं०–28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4–लेन पुल (लम्बाई 5.51 कि०मी०) एवं 4–लेन पहुँच पथ (लम्बाई 45.393 कि०मी०) परियोजना के टर्मिनेटेड कंसेशन एग्रीमेंट का पुनरूद्धार (Revival of Terminated Concession Agreement) एवं परियोजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत राशि रू० 935.775 करोड़ वन टाईम फंड इन्फ्यूजन (ओ०टी०एफ०आई०) सहित कुल राशि रू० 2875.20 करोड़ (दो हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति में प्रावधानित वित्त पोषण में भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले वायबिलिटी गैप फंड (भी०जी०एफ०) ग्रान्ट की शेष राशि रू० 131.67 करोड़ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाने की स्वीकृति की प्रत्याशा में बिहार सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. पथ प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत नरकटियागंज–गौनहा–मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा आशोक स्तंभ लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 25.173 कि०मी० (कुल–25. 173 कि०मी०) तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7442.43 (चौहत्तर करोड़ बियालीस लाख तैंतालीस हजार) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

11. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना जिलान्तर्गत तरेगना यार्ड, स्थित LC No.-21/A के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण में पहुँच पथ हेतु भू–अर्जन सहित राज्यांश की कुल राशि ₹ 6012.65 लाख (साठ करोड़ बारह लाख पैंसठ हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, अतिविशिष्ट अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख–रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन के संबंध में। — 12 स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. "बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2023" की स्वीकृति के संबंध में। 13 स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

14. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 20 अद्द 50 एम०भी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने हेतु कुल 98.34 करोड़ (अंठानवे करोड़ चौंतीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14 स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

15. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० के अन्तर्गत 220 के०भी० के 04 अद्द 100 एम०भी०ए० ट्रांसफॉर्मर एवं 01 अद्द 160 एम०वी०ए० ट्रांसफॉर्मर को 200 एम०भी०ए० ट्रांसफॉर्मर क्षमता में विस्तार हेतु कुल 82.73 करोड़ (बेरासी करोड़ तेहत्तर लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 15 स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ई०पी०एफ० की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम हेतु कुल 3583.046 लाख (पैंतीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार छः सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 16 स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

17. बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सब्जी फसल को अधिसूचित करने तथा संशोधित कार्ययोजना के तहत् योजना का क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4989 दिनांक–08.06.2018 में संशोधनों की स्वीकृति के संबंध में। 17 स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 144.72 करोड़ (एक अरब चौवालीस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) रूपये मात्र की लागत से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10 (दस) करोड़ रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 18 स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023--24 में कार्यान्वयन एवं कुल 11900.00 लाख (एक सौ उन्नीस करोड़) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 19 स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष–2023–24 में पूर्व में स्वीकृत 5000.00 लाख (पचास करोड़) रू० के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 10,000.00 लाख (सौ करोड़) रूपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 20 स्वीकृत।

परिवहन विभाग

21. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों यथा मोटरवाहन कर, हरित कर, फीस इत्यादि में एकमुश्त छूट प्रदान करने के संबंध में। — 21 स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

22. "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के अंतर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा--तालाबों, पोखरों/पईनों को अतिक्रमण मुक्त करने के पश्चात इसके किनारे बसे आवास विहीन 1735 विस्थापित परिवारों, जिन्हें पूर्व में आवास योजना का लाभ दिया गया था, को पुनः आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 22 स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए स्वीकृत वित्तीय सीमा को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न उपयोजनाओं के बीच राशि का उपावंटन करने एवं सृजित की जा रही परिसम्पत्तियों के स्थायी रख--रखाव के लिए संबंधित शहर के नाम से सोसाईटी गठित करने के संबंध में। — 23 स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

24. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अंतर्गत मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹72,32,00,000/– (बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। — 24 स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

25. समाधान यात्रा की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के कुल 18 (अठारह) पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 233007.69 लाख (तेईस सौ तीस करोड़ सात लाख उनहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय (यथा संलग्न परिशिष्ट–I) पर योजनावार पृथक–पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 25 स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. डा० अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवलिया, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक–01.06.2016 से 18.12.2016 तक एवं दिनांक–25.12.2016 से संकल्प निर्गमन की तिथि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 26 स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. डॉ० रवि कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (रेडियोलोजी), सदर अस्पताल, कटिहार के विरूद्ध दिनांक–05.11.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 27 स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

28. डा० आनन्द कुमार सुल्तानिया, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, गोपालगंज के विरूद्ध दिनांक–18.06.2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 28 स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

29. 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 5 प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा–पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के निमित्त प्रति जिला पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोत्तरी करते हुए आवर्तक मद में ₹65,11,800 (पैसठ लाख ग्यारह हजार आठ सौ) प्रति वर्ष एवं अनावर्तक मद में ₹28,26,500 (अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार पांच सौ) अर्थात कुल ₹93,38,300 (तिरानवे लाख अड़तीस हजार तीन सौ) के दर से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना एवं संचालन किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। — 29 स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

30. बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)" अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छुटे हुए असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में 8283 कि०मी० ग्रामीण पथों को मल्टी ट्रॉंच फाईनान्सिंग फैसिलिटि के तहत ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक से यू०एस०डी० 63,81,20,000/– (यू०एस०डी० तीरसठ करोड़ इक्कासी लाख बीस हजार) अर्थात रूपया 5212,16,41,600/–(पाँच हजार दो सौ बारह करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार छः सौ रूपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा इस योजना के ट्रॉंच–I के 3014 कि०मी० का न्यूनतम 30% अर्थात 904 कि०मी० ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के रेट्रोएक्टिव फाइनान्सिंग के तहत एडवांस प्रोक्योरमेंट के लिए कुल राशि रूपया 1500,00,00,000/– (एक हजार पाँच सौ करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 30 स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

31. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" हेतु कुल 30,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए ₹22200.00 लाख (रूपये दो सौ बाईस करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित कार्यान्वियन अनुदेश की स्वीकृति के संबंध में। — 31 स्वीकृत।

वित्त विभाग

32. बिहार न्यायिक सेवा के सेवा–निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ का दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से निर्धारण /पुनरीक्षण एवं भुगतान के संबंध में। — 32 स्वीकृत।

कृषि विभाग

33. चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषि उन्नति योजना के तहत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वियन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल 10168.00 लाख (एक सौ एक करोड़ अड़सठ लाख) रूपये जिसमें केन्द्रांश 6100.80 लाख (एकसठ करोड़ अस्सी हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 4067.20 लाख (चालीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वियन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 33 स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

34.	राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के कर्मियों हेतु विभागीय संकल्प संख्या–285 दिनांक–12.04.1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक– 01.03.1989 से प्रभावी किये जाने एवं संकल्प संख्या –970 दिनांक–31.08.2013 द्वारा देय षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक–01.04.2007 से प्रभावी किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।	34	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

35.	राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आयोगों/बोर्डों के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सदस्यगण के वेतन/मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के वेतन के समान करने की स्वीकृति के संबंध में।	35	स्वीकृत।